आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

17/10/2023

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -15/2011-12

प्रसादी महतो **बनाम** नारायण महतो एवं 16 आना रैयत।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Pradhani Appointment Case No-82/2007-08 में दिनांक–25.11.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Pradhani Appointment Case No-82/2007-08 में दिनांक–25.11.2011 द्वारा नारायण महतो, पिता–स्व0 चामु महतो, साकिन–मधुबन को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत वंशानुगत आधार पर मौजा–मधुबन के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दिया गया है।

अपीलकर्त्ता प्रसादी महतो के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–मधुबन के पूर्व प्रधान चामु महतो थे। अपीलकर्त्ता प्रसादी महतो गत सर्वे खतियानी प्रधान स्व0 चामु महतो के ज्येष्ठ पुत्र स्व0 कटि महतो के ज्येष्ठ पुत्र है। गत सर्वे खतियान में अभिलेखित प्रधान स्व0 चामु महतो की मृत्यु वर्तमान प्रधान के नियुक्ति के 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। 40 वर्ष की अवधि तक मौजा खास था। Pradhani Appointment Case No-82/2007-08 में अपीलकर्त्ता एवं तुलसी महतो द्वारा भी प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय में तुलसी महतो द्वारा आवेदन वापस लिया गया। अंचल अधिकारी नारायणपुर द्वारा गलत प्रतिवेदित किया गया कि अपीलकर्त्ता प्रसादी महतो भा0द0वि0 धारा–304 (B) के तहत दोषी व्यक्ति है जबकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका के S.C. No-. 213 में दिनांक–23.06.2001 को पारित आदेश के द्वारा उन्हें निर्दोष पाकर वाद से मुक्त किया गया।

उत्तरवादी अनुपस्थित। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

पक्षकार के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक नारायण महतो पूर्व प्रधान स्व0 चामु महतो का द्वितीय पुत्र है। प्रसादी महतो पूर्व प्रधान स्व0 चामु महतो के प्रथम पुत्र स्व0 कटी महतो का पुत्र है। प्रसादी महतो गत प्रधान स्व0 चामु महतो के निकतम वंशज है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Pradhani Appointment Case No-82/2007-08 में दिनांक–25.11.2011 को पारित आदेश के द्वारा नारायण महतो को पिता–स्व0 चामु महतो को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 6 के तहत वंशानुगत आधार पर मौजा–मधुबन के प्रधानी पद पर नियुक्ति का स्वीकृति दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Pradhani Appointment Case No-82/2007-08 में दिनांक–25.11.2011 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Adv. 30/10/23

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.11.01 10:56:12 +05:30
Location: 192.168.43.106